रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 11, 1985/ज्येष्ठ 21, 1907

No. 12] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 11, 1985/JYAISTHA 21, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सक्षम प्राधिकारी कार्यालय,

निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त (अर्जन) रेंज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

रोहतक, 29 मई, 1985

संदर्भ सं. अम्बाला/65/84-85.—केन्द्रीय सरकार द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 269ख के अधीन, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत, सक्षम प्राधिकारी होने के कारण, चूंकि मुझे, एम. के. शर्मा को, यह विश्वास करने का कारण है कि मिध वाला नं० अम्बाला पर स्थित 8 कनाल संख्या वाली, एक लाख रु. से अधिक के उचित बाजार मूल्य वाली अचल सम्पत्ति (जिसका और अधिक विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है) को, जिसका अन्तरण (ट्रांसफर) और रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के अम्बाला स्थित कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) की धारा 269 क ख के अधीन 20-9-84 तारीख को रजिस्ट्रेशन सं. 4993 के अन्तर्गत किया गया है, इस सम्पत्ति के ऐसे दृश्यमान प्रतिफल (एपेरेण्ट कन्सिडरेशन) में किया गया है जो उसके उचित बाजार मूल्य के 15 प्रतिशत से भी अधिक कम है और उक्त अन्तरण के लिखत (इन्स्ट्रूमेण्ट) में ऐसे अन्तरण के प्रतिफल का उल्लेख, अन्तरक(कों) और अन्तरिती (तियों) के बीच हुए समझौते के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य से नहीं किया गया है :—

(क) इस अन्तरण (ट्रांसफर) से अन्तरक को होने वाली आय के मामले में उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व (लायबिलिटि) को कम करने अथवा उससे बचने की सुविधा के लिए और/अथवा,

(ख) किसी ऐसी आय या धन या परिसम्पत्तियों को छिपाने की सुविधा के लिए, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) अथवा उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रकट नहीं किया गया था या प्रकट किया जाना चाहिए था।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. 1. श्री करनैल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह, निवासी—सिंघावाला तह. व जिला—अम्बाला (अन्तरक)

2. 1. श्री सुरेश मित्तल पुत्र श्री बलदेव शरण दास पुत्र श्री हरशरण दास, निवासी—ट्रैजरी रोड, अम्बाला शहर

   2 श्रीमती सुमित्रा देवी धर्म पत्नी श्री रोशनलाल पुत्र पं. रामजस, निवासी—बादशाही बाग, अम्बाला शहर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— यहां प्रयुक्त शब्दों का, जिनका प्रयोग उक्त अधिनियम के अध्याय XXक में किया गया है, वही अर्थ होगा जिस रूप में उस अध्याय में इनकी परिभाषा की गयी है ।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 8 कनाल जो कि सिंघावाला में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्री कर्ता के कार्यालय अम्बाला में रजिस्ट्री संख्या 4993 दिनांक 20-9-84 पर दिया है ।

तारीख : 29-5-1985

मोहर :

OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY/ INSPECTING ASSISTANT, COMMISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE

NOTICES UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

Rohtak, the 29th May, 1985

Ref. No. AMB/65/84-85:- Whereas I, S.K. Sharma being the Competent Authority authority authorised by the Central Government in this behalf under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), herein after referred to as the said Act, have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Land 8 Kanal situate at Vill. Singhawala Teh. Ambala. (and more fully described in the schedule below) has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer with the Competent Authority u/s 269AB of the said Act read with rule 48DD (4) at Ambala under Registration No. 4993 dated 20-9-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

(1) (i) Sh. Karnail Singh s/o Sh. Partap Singh s/o Sh. Nand Singh r/o Vill. Singhawala Teh. & Distt. Ambala.

(Transferor)

(2) (i) Sh. Suresh Mittal s/o Baldevsaran Dass s/o Sh. Harsaran Dass r/o Treasury Road, Ambala City.

(ii) Smt. Sumitra Devi w/o Sh. Roshan Lal s/o Pt. Ramjas r/o Badhshai Bagh, Ambala City.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of forty-five days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Property being land 8 kanal situated at vill. Singhawala and as more mentioned in the sale deed registered at Sr. No. 4993 dated 20-9-84 with the Sub Registrar, Ambala.

Dated 29-5-85

Seal :

रोहतक, 3 जून, 1985

निदेश सं. पानीपत/85/84-85 :—अतः मुझे एस. के. शर्मा आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000 रु. से अधिक है और जिसकी सं. भूमि 5 कनाल 18 मरले है तथा जो मखदूमजादगान पानीपत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय पानीपत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का 18 के अधीन तारीख 28-9-84, 3209 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य इसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरोही) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. किरनदर सुपुत्री श्रीमती इकबाल रानी विधवा श्री आनन्द नाथ निवासी, बम्बई द्वारा श्री केहर सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी—डेरा तरफ इन्सार पानीपत। (अन्तरक)

2. सर्व श्री गुरनाम सिंह, सूचा सिंह पुत्रान केहर सिंह, निवासी तरफ इन्सार पानीपत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों की जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 5 कनाल 18 मरले जो कि मखदूमजादगान पानीपत में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय पानीपत में रजिस्ट्री संख्या 3209 दिनांक 28-9-84 पर दिया है।

दिनांक 3-6-85

मोहर :

Rohtak, the 3rd June, 1985

Ref. No. PNP/85/84-85.- Whereas I, S.K. Sharma being the Competent Authority authority authorised by the Central Government in this behalf under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), herein after referred to as the said Act, have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Land 5 K. 18 M situated at Makhdoomzadgan, Panipat. (and more fully described in the schedule below) has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer With the Competent Authority u/s 269AB of the said Act read with rule 48DD(4) at Panipat under Registration No. 3209 dated 28-9-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor (s) and transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

(1) Krinder d/o Smt. Iqbal Rani w/o Sh. Anand Nath r/o Bombay through Sh. Kehar Singh s/o Sh. Partap Singh r/o Dera Taraf Insar, Panipat. (Transferor)

(2) S/Sh. Gurnam Singh, Sucha Singh s/o Kehar Singh r/o Dera Taraf Insar, Panipat. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Property being land 5 K 18 M situated at Makhdoomzadgan. Panipat and as more mentioned in the sale deed registered at Sr. No. 3209 dated 28-9-84 with the Sub-Registrar, Panipat Distt. Karnal.

Date : 3-6-85

Seal :

संदर्भ, सं. पानीपत/82/84-85 —केन्द्रीय सरकार द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 269 घ के अधीन, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत, सक्षम प्राधिकारी होने के कारण, चूंकि मुझे, एस. के. शर्मा को, यह विश्वास करने का कारण है कि मखदूमजादगान पानीपत पर स्थित 12 के. 14 में. 4-1/2 संख्या वाली, एक लाख रु. से अधिक के उचित बाजार मूल्य वाली अचल सम्पत्ति (जिसका और अधिक विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है) को, जिसका अन्तरण (ट्रांसफर) और रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के पानीपत स्थित कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-9-84 तारीख को रजिस्ट्रेशन सं. 2949 के अन्तर्गत किया गया है, इस सम्पत्ति के ऐसे दृश्यमान प्रतिफल (एपेरेन्ट कन्सिडरेशन) में किया गया है जो उसके उचित बाजार मूल्य के 15 प्रतिशत से भी अधिक कम है और उक्त अन्तरण के लिखत (इन्स्ट्रूमेण्ट) में ऐसे अन्तरण के प्रतिफल का उल्लेख, अन्तरक(कों) और अन्तरिती (तियों) के बीच हुए समझौते के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य से नहीं किया गया है :—

(क) इस अन्तरण (ट्रांसफर) से अन्तरक को होने वाली आय के मामले में उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व (लायबिलिटि) को कम करने अथवा उससे बचने की सुविधा के लिए और/अथवा,

(ख) किसी ऐसी आय या धन या परिसम्पत्तियों को छिपाने की सुविधा के लिए, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) अथवा उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रकट नहीं किया गया था या प्रकट किया जाना चाहिए था ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री हुकम चन्द, निवासी—नूरखाला, तह.—पानीपत जिला—करनाल (अन्तरक)

2. श्री जीवन कृष्ण, श्री शाम सुन्दर पुत्रान श्री किदारनाथ निवासीगण—अमृत सर (पंजाब) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपत्ति :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त अचल सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— यहां प्रयुक्त शब्दों का, जिनका प्रयोग उक्त अधिनियम के अध्याय XXक में किया गया है, वही अर्थ होगा जिस रूप में उस अध्याय में इनकी परिभाषा की गयी है ।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 12क. 14 में. 4-1/2 स., जो कि मखदूम जादगान पानीपत में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय पानीपत रजिस्ट्री सं. 2949 दि. 6-9-84 पर दिया है ।

दिनांक 3-6-85

मोहर :

Ref. No. PNP/82/84-85.—Whereas I, S.K. Sharma, being the Competent Authority authorised by the Central Government in this behalf under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the said Act, have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Land measuring 12 K 14 M 4.1/2 Sarsai situate at Makhdoomzadgan, Panipat (and more fully described in the schedule below) has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Panipat under Registration No. 2949 dated 6-9-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and transferee (s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or ;

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

(1) Sh. Hukam Chand, s/o Dewa Ram, r/o V. Noorwala, Teh. Panipat, Distt. Karnal. (Transferor)

(2) Sh. Jeewan Krishan, Sh. Shyam Sunder, s/o Sh.Kidar Nath, r/o Amritsar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of forty-five days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Property being land 12 K 14 M 4.1/2 Sarsai situated at Patti Makhdoomzadgan, Panipat and as more mentioned in the sale deed registered at Sr. No. 2949 dated 6-9-84 with the Sub-Registrar Panipat, Distt. Karnal.

Dated 3-6-85

Seal :

संदर्भ सं. पानीपत/83/84-85 :—केन्द्रीय सरकार द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 269घ के अधीन, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत, सक्षम प्राधिकारी होने के कारण, चूंकि मुझे, एस. के. शर्मा को, यह विश्वास करने का कारण है कि मखदूमजादगान पानीपत पर स्थित 12क., 14म., 4-1/2 संख्या वाला, एक लाख रु. से अधिक के उचित बाजार मूल्य वाली अचल सम्पत्ति (जिसका और अधिक विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है) को, जिसका अन्तरण (ट्रांसफर) और रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के पानीपत स्थित कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-8-84 तारीख को रजिस्ट्रेशन सं. 2940 के अन्तर्गत किया गया है, इस सम्पत्ति के ऐसे दृश्यमान प्रतिफल (एपेरेण्ट कन्सिडेरेशन) में किया गया है जो उसके उचित बाजार मूल्य के 15 प्रतिशत से भी अधिक कम है और उक्त अन्तरण के लिखत (इन्स्ट्रूमेन्ट) में ऐसे अन्तरण के प्रतिफल का उल्लेख, अन्तरक (कों) और अन्तरिती (तियों) के बीच हुए समझौते के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य से नहीं किया गया है :—

(क) इस अन्तरण (ट्रांस्फर) से अन्तरक को होने वाली आय के मामले में उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व (लायबिलिटि) को कम करने अथवा उससे बचने की सुविधा के लिए और/अथवा,

(ख) किसी ऐसी आय या धन या परिसम्पत्तियों को छिपाने की सुविधा के लिए, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) अथवा उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रकट नहीं किया गया था या प्रकट किया जाना चाहिए था।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री हुकम चन्द, पुत्र श्री देवा राम, निवासी नूरवाला, त० पानीपत, जि० करनाल। (अन्तरक)

2. श्री चमनलाल सेठ पुत्र श्री दुर्गादास, नि., 35 21 बाला शाह नगर, अमृतसर (पं.) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर नोटिस की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त अचल सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में की जा सकेंगी ।

स्पष्टीकरण :– यहां प्रयुक्त शब्दों का, जिनका प्रयोग उक्त अधिनियम के अध्याय XXक में किया गया है, वही अर्थ होगा जिस रूप में उस अध्याय में इनकी परिभाषा की गयी है ।

अनुसूची

संपत्ति भूमि 12क., 14म., 4-1/2 सं. जो कि मखदूमजादगान पानीपत में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय पानीपत रजिस्ट्री संख्या 2940 दिनांक 6-9-84 पर दिया है ।

दिनांक 3-6-85 ।

मोहर :

Ref. No. PNP/83/84-85.—Whereas I, S.K. Sharma being the Competent Authority authorised by the Central Government in this behalf under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the said Act, have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs.1,00,000/- and bearing No. Land measuring 12 K, 14 M, 4.1/2 Sarai situated at Makhdoomzadgan, Panipat (and more fully described in the schedule below) has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Panipat under Registration No. 2940 dated 6-9-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and transferee(s) has not been truly stated in the said instruments of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Hukam Chand, s/o Sh. Dewa Ram r/o V. Noorwala, Teh. Panipat, Distt. Karnal (Transferor)

(2) Sh. Chaman Lal Seth s/o Sh. Durga Dass, House No. 354-21 Wala Shah Nagar, Amritsar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of forty-five days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Property being land 12 K, 14 M, 4-1/2 Sarsai situated at Patti Makhdoomzadgan, Panipat and as more mentioned in the sale deed registered at Sr. No. 2940 dated 6-9-84 with the Sub-Registrar Panipat Distt. Karnal.

Date : 3-6-85

Seal :

निदेश सं. जगाधरी/70/84-85 :—अतः मुझे, एस. के. शर्मा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 269ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. भूमि-198क 19 मरले है तथा जो बूढिया त. जगाधरी मे स्थित है (और इसने उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जगाधरी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का 18 के अधीन रजिस्ट्रेशन नं. 3179, तारीख 5-9-84, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य इसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ख की उप धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

सर्वश्री—

1. रतन अनमोल सिंह उर्फ मेजर रतन अनमोल सिंह चीफ आफ बूढिया, सपुत्र स. लक्ष्मण सिंह पुत्र स. जोगिन्दर सिंह नि० बूढिया, त. जगाधरी जि. अम्बाला वजरिये कु. मारग्रेट राजकुमारी आफ बूढिया सपुत्री मेजर रतन अनमोल चीफ आफ बूढिया। (अन्तरक)

सर्वश्री—

2. नरेश कुमार, राजकुमार शीलकुमार पुत्रान चौ. फूल सिंह निवासी—मुडा माजरा, तह. जगाधरी जि. अम्बाला। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 198 कनाल 19 मरले जो कि बूढिया में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय जगाधरी रजिस्ट्री संख्या 3179 दिनांक 5/9/84 पर दिया है।

दिनांक . 3/6/85

मोहर :

Ref. No. JDR/70/84-85.—Whereas I, S.K. Sharma, being the competent Authority authorised by the Central Government in this behalf under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the said Act, have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Land measuring 198K 19Marla situated at Buriya Teh. Jagadhari (and more fully described in the schedule below) has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer With the Competent Authority u/s 269AB of the said Act read with (rule 48 DD-4) at Jagadhari under Registration No. 3179 dated 5-9-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Sh. Rattan Anmol Singh Urf Major Ratan Anmol Singh, Chief of Buriya, s/o Lachhaman Singh, s/o Joginder Singh, r/o Puriya through Kumari Margrat Rajkumari, of Buriya. D/o Major Rattan Anmol, Chief of Buriya, Teh. Jagadhari, Distt. Ambala. (Transferor)

(2) S/Sh. Naresh Kumar, Raj Kumar, Sushil Kumar, ss/o Ch. Phool Singh, r/o Vill. Munda Majra, teh. Jagadhari Distt. Ambala. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of forty-five days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Property being land measuring 198 K 19 M situated at Buriya, Teh. Jagadhari and more mentioned in the sale deed registered at Sr. No. 3179 dated 5-9-84 with the Sub-Registrar, Jagadhari Distt. Ambala.

Date : 3-6-85

Seal :

निदेश स. जगाधरी/73/84-85 :—अतः मुझे एस के. शर्मा आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 100,000 रु. से अधिक है और जिसकी सं. एक मकान नं. 192-एल है तथा जो माडल टाउन, यमुना नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जगाधरी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का 18 के अधीन रजिस्ट्री सं. 3267 तारीख 11/9/84, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरिकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उप धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रामसरन सौनी पुत्र ला. गोबिन्दराम सौनी, निवासी-192 एल. माडल टाउन यमुना नगर, तह. जगाधरी जि. अम्बाला । (अन्तरक)

2. श्रीमती तेजिन्द्र कौर पत्नी स. हरचरन सिंह व श्रीमती गाजिन्द्र कौर, धर्म पत्नी हर मिन्द्र सिंह, नि. माडल टाउन यमुना नगर । (अन्तरिती)

श्रीमती कंवल जीत कौर पत्नी देविन्द्र सिंह, निवासी-सिविल लाइन, जगाधरी ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों को जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।